



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 144 राँची, सोमवार,

13 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

21 फरवरी, 2023

संख्या-1/पी०-102/2014 का०- 977--संयुक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री शेखर जमुआर, भा.प्र.से. (झा:2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक गढ़वा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे ।

संख्या-1/पी०-102/2014 का०-978--संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अभिजीत सिन्हा, भा.प्र.से. (झा:2018) (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लि०, राँची) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त -सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, दुमका के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

2. इस अधिसूचना के क्रम में प्रभार रहित पदाधिकारी श्री घोलप रमेश गोरख, भा.प्र.से. (झा:2012) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड में योगदान करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
